––00 नवीन टेण्डर हेतु नियम एवं शर्ते 00––
वर्ष 2019–2020

क्र0	विवरण
1.	निविदा उन निविदाकर्ताओ के द्वारा ही प्रस्तुत की जावेगी जो केटरिंग कार्य का अनुभव रखते हो तथा जिनका केटरिंग के क्षेत्र में टर्न ओवर एक करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का हो प्रमाण पत्र की प्रति एवं ISO प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे।
2.	निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत के किसी भाग को न तो किसी अन्य को सुपुर्द कर सकेगा न ही स्थानांतरित कर सकेगा।
3.	निर्धारित प्रपत्र में निविदा दो सीलबंद लिफाफों में अलग–अलग प्रस्तुत की जावे। प्रथम लिफाफे में आयकर, पेनकार्ड/ईपीआर रजिस्ट्रैशन क्रमांक ईएसआई/रजिस्ट्रेशन क्रमांक जानकारी तथा पूर्व में किये गये सफलतापूर्वक कार्यो का अनुभव तत्संबंधी अभिलेख एवं धरोहर राशि का राष्ट्रीय बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट। द्वितीय सीलबंद लिफाफे में निविदा में उल्लेखित कार्यो की दरों से संबंधित जानकारी आदि का विवरण रखा जावे। पूर्व में अन्य शासकीय/अर्द्व शासकीय /निकायों के कार्यो के निष्पादन के दौरान गंभीर त्रुटियों को संज्ञान में लेते हुए विभिन्न विभागों/अशा. निकायों द्वारा संबंधित फर्म के विरूद्व लिये गये निर्णयों का भी खुलासा किया जावे अन्यथा टेण्डर विभाग द्वारा अमान्य/निरस्त किये जाकर अन्य फर्म को दे दिये जावेंगें।
4.	उपरोक्त सरल क्रमांक 1 से 3 उल्लेखित शर्तों को पूर्ण करने पर ही निविदाकारों का द्वितीय लिफाफा (प्रपत्र–2) निर्धारित समय पर खोला जावेगा जिसकी सूचना संबंधित निविदाकार को दी जावेगी।
5.	निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदा में दर्शाये गये कार्य हेतु तैनात किये जाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्यतः पुलिस से चरित्र सत्यापन करवाकर तथा शासकीय चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। आपराधिक पृष्ठभूमि, मानसिक–शारीरिक विकार/संक्रामक रोग वाले व्यक्ति नहीं रखे जावें।
6.	कार्य अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से 11 माह की अवधि के लिए होगा। इसे दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्ष द्वारा 02 माह की पूर्व लिखित सूचना पर भंग किया जा सकेगा।
7.	निविदाकारों को निविदा प्रपत्र के साथ राशि ₹ 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) का बैंक ड्राफट धरोहर राशि के रूप में जो पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा। इस राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
8.	शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर जैसे सर्विस टैक्स इत्यादि का भुगतान निविदाकार द्वारा स्वयं की राशि से किया जावेगा। शासन को अदा किये गये सर्विस टैक्स की रसीद प्रस्तुत करना होगी। श्रम संबंधी समस्त कानूनों का पालन सफल निविदाकार को स्वयं करना होगा। इस हेतु पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।
9.	यदि किन्हीं कारणों अथवा परिस्थितियों के चलते पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन से देयकों के भुगतान में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में उक्त अवधि के पारिश्रमिक के भुगतान का दायित्व निविदाकार का होगा, तथा उसी के द्वारा अपने कर्मियों को समय पर पारिश्रमिक के भुगतान स्वयं की व्यवस्था से किया जावे। कामगारों को निविदाकार द्वारा निर्धारित समयानुसार पारिश्रमिक न दिये जाने पर अथवा किसी भी तरह से प्रताड़ित किये जाने की स्थिति में

	निविदाकार के विरूद्व कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों/कामागारों की शिकायत के आधार पर भी फर्म को पुलिस अधीक्षक पीटीएस, उज्जैन के द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।
10.	कोई भी निविदा बिना कारण बताये पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार पुलिस अधीक्षक पी.टी.एस. उज्जैन को होगा। सबसे कम दर की निविदा स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं हैं। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना पुलिस अधीक्षक पी.टी.एस. उज्जैन के विवेक पर निर्भर करेगा। गुणवत्ता एवं हाईजिनीक को महत्व दिया जाएगा इस संबंधमें निविदाकार द्वारा किया गया कोई पत्राचार मान्य नही किया जावेगा।
11.	निविदाकार द्वारा एक बार उल्लेखित दरों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रस्तुत दर राशि अंकों के साथ शब्दों में भी आवश्यक रूप से लिखी जाये। निविदा में अंकित दर स्वीकृत होने पर उसी दर पर ही कार्य किया जावेगा। प्रस्तुत दर समस्त प्रकार के करों सहित होगी। पृथक से कोई कर विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा।
12.	निविदा प्रपत्र पूर्णतः स्पष्ट पूर्ण करना होगा। निविदा मैं कोई परिवर्तन, कोई ऊपरी लेखन (ओव्हर राईटिंग) सफेद फ्ल्यूड से नहीं किया जाना चाहिये ऐसा करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
13.	प्रस्तावित कार्य हेतु निविदाकार को अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
14.	अन्य नियम एवं शर्ते जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया जा सका है, वह मध्य प्रदेश शासन के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार होंगे।
15.	किचिन, स्टोर एवं भोजन परोसने के क्षेत्र अर्थात डायनिंग हॉल एवं उसमे लगे टेबल, कुर्सियों व इसमें लगे अन्य उपकरणों की साफ–सफाई तथा स्वच्छता की जवाबदारी सफल निविदाकार की होगी। किचन व मेस परिसर के आसपास के क्षेत्र में भी स्वच्छता की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होंगी। सफल निविदाकार द्वारा कचरा प्रंबधन हेतु 02 प्रकार के डस्टबिन प्रत्येक मेस में रखे जाएगें। इसमें से पहला डस्टबिन प्रत्येक मेस में से बायो डीग्रेडेबल(Bio-degradable)कचरे का होगा तथा दूसरा डस्टबिन नॉन बायो डीग्रेडेबल (Non Bio-degradable) कचरे का होगा। किसी भी स्थिति में परिसर में कचरा नहीं डाला जाएगा। कचरा प्रबंधन हेतु पुलिस अधीक्षक पीटीएस, उज्जैन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों व मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16.	निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की साफ सफाई अथवा भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत प्रमाणित होने पर सफल निविदाकार के विरूद्व राशि ₹ 5,000/– (पांच हजार रू0) प्रति शिकायत की दर से वसूल की जायेगी एंव उक्त राशि मेंन्टेनेंन्स मद में जमा की जायेगी, जिसका भुगतान निविदाकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन में जमा करना होगा। वसूल की गई राशि जमा न किये जाने की स्थिति मैं निविदाकार के देयक से इसका कटोत्रा किया जायेगा।
17.	सफल निविदाकार द्वारा भोजन, नाश्ता, चाय, दूध आदि की गुणवत्ता बनाये रखने में या मेस एवं भोजन पकाने व परोसने में स्वच्छता सुनिश्चित करने या मेस का संचालन करने में कोई त्रुटि या लोप किया जाता है और फलस्वरूप मेस संचालन का कार्य किसी उच्चदर वाले निविदाकार को देने की मजबूरी आती है, तो पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन को होने वाली आर्थिक हानि की कटौती/वसूली प्रथमतः सफल निविदाकार के देयक से एवं अधिक होने पर धरोहर राशि से काटी जावेगी। धरोहर राशि से कटौती की स्थिति में सफल निविदाकार को उतनी राशि 24

	घण्टे के अंदर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन मे जमा करना होगा ताकि धरोहर राशि का स्तर यथावत बना रहें।
18.	कार्य के दौरान निविदाकार द्वारा नियुक्त कामगारों के साथ हुई दुर्घटना/चोट का उत्तरदायित्व संबंधित घायल व्यक्ति और निविदाकार का होगा।
19.	मेस सुपरवाईजर/कर्मचारियों को संस्था के कर्मचारियों/फेकल्टी/प्रशिक्षणार्थियों के साथ विनम्र व्यवहार करना होगा व त्वरित सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। ऐसा न पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर की गई त्रुटि के लिए न्यूनतम ₹ 1,000 (एक हजार) या अधिकतम ₹ 5,000(पांच हजार रूपये) तक की राशि वसूल की जायेगी।
20.	सफल निविदाकार द्वारा प्रशिक्षित एवं कुशल सुपरवाईजर–02, हेड कुक–03, कुक–08, सहायक–16, सफाई कर्मचारी–18 कर्मचारी मेस में लगाया जाना अनिवार्य होंगे। इनकी व्यवस्था सफल निविदाकार द्वारा स्वयं की जावेगी। कर्मचारियों के लिए निर्धारित यूनीफॉर्म एंव उसमें नाम की पट्टिका, सिर पर कैप एवं परिचय पत्र लगाया जाना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों की यूनिफॉर्म हमेशा साफ सुथरी हो एवं नाखून, बाल साफ एवं कटे होना चाहिये। कर्मचारियों की यूनिफॉर्म में नाम की पट्टिका एवं परिचय पत्र नहीं लगाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर की गई त्रुटि के लिए न्यूनतम राशि ₹500 (पॉच सौ) या अधिकतम ₹ 1,000 की राशि वसूल की जायेगी। भोजन पकाने एवं परोसने वाले कर्मचारियों के लिए सिर ढका (कैप) होगा तथा उन्हें दस्ताने एवं एप्रेन का उपयोग करना अनिवार्य होगा। किचन व डायनिंग हॉल में कर्मचारी बाहर के जूते/चप्पल पहन कर प्रवेश नही करेंगे। मेस कार्य के दौरान अलग से चप्पल/जूते धारण करेंगे। कर्मचारी को किचन/डायनिंग क्षेत्र में प्रवेश के उपरांत तुरंत लिक्विड हैंड वॉश से हाथ साफ करने होंगे। लिक्विड हैण्ड वॉश हमेशा उपलब्ध रहे, इसकी जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। हाथ पोंछने के लिए साफ कपड़े, किचन के उपकरण/बर्तन व प्लेटफॉर्म साफ करने हेतु भी प्रतिदिन धुले हुए कपड़े उपलब्ध कराना सफल निविदाकार की जिम्मेदारी होगी।
21.	किचिन मे पूरी सफाई की जिम्मेदारी सफल निविदाकार एवं उनके कर्मचारियों की होगी।
22.	प्रतिदिन डायनिंग हाल के वॉशबेसिन में हाथ धोने के लिए लिक्विड सोप, साफ तौलिया की व्यवस्था सफल निविदाकार को स्वयं करना होगी।
23.	दोनों मेस हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन द्वारा प्रदत्त समस्त सामग्री उपकरण/बर्तन तथा रोटीमेकर, मिक्सर ग्राइण्डर आदि के खराब होने टूट फूट होने पर उन्हें सुधरवाने पूर्जे बदलवाने आदि की जिममेदारी टेण्डर धारक की होगी। मेस में उपलब्ध टेबल, कुर्सी ,परदे इत्यादि में से कोई भी सामग्री खराब या नष्ट होती है तो सफल निविदाकार को देयक से उक्त सामग्री/उपकरण के समतुल्य राशि का कटोत्रा किया जावेगा।
24.	सफल निविदाकार को चाय भोजन आदि की गुणवत्ता बनाये रखना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करना होगा। फीडबैक अथवा निरीक्षण मैं भोजन, चाय आदि की गुणवत्ता कम पाये जाने पर यह माना जावेगा कि सफल निविदाकार द्वारा शर्तो का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर की गई त्रुटि के लिए न्यूनतम राशि ₹ 1000 (एक हजार) या अधिकतम ₹ 5,000 रूपये तक की राशि वसूल की जायेगी।
25.	सफल निविदाकार पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण व अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित अधिकारियों के लंच, डिनर, नाश्ता चाय तथा निर्देशानुसार विशेष लंच, डिनर तथा

	हाई–टी का बिल नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रभारी अधिकारी के माध्यम से पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन को प्रस्तुत करेगें।
26.	सफल निविदाकार द्वारा मेस संचालन के लिए नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की सूची उनके पूर्ण पते (आईडी प्रूफ सहित), स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र एवं पुलिस वेरीफिकेशन के सहित, प्रभारी अधिकारी मेस को 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराई जावेगी तथा कर्मचारियों के परिवर्तन की दशा में समान प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
27.	कोई भी कर्मचारी परिसर में शराब तंबाकू, गुटका या किसी प्रकार के नशे का उपयोग नहीं करेगा।
28.	सफल निविदाकार खाद्य वस्तुओं के निम्नानुसार ब्राण्डों का उपयोग करेगा, सभी ब्राण्ड एगमार्क होना अनिवार्य है :–

क्रं.	सामग्री का नाम	ब्राण्ड
1	आटा	शरबती गेहूँ का चक्की का पिसा हुआ (चक्की फ्रेश, चोकर सहित)
2	चावल	बासमती (फुल साईज़)
3	दाल	तुअर मीडियम, पिपरिया/नागपुर, मूंग यलो, मूंग छिलका, छोले, राजमा, चवला भी प्रतिष्ठित ब्रांड के।
4	खाद्य तेल	कृति/व्हाइटल/महाकोश/फारच्यून रिफाईण्ड/दम्मानी
5	शुद्व घी	अमूल/सॉची
6	शक्कर	मधुर, व्हाईट क्रिस्टल (दानेदार)
7	सभी प्रकार के मसाले	एम0डी0एच0/एवरेस्ट/पुष्पब्राण्ड/कैंच/विध्या/रिलायंस/बेस्ट प्राइस
8	साबूदाने	वरलक्ष्मी
9	कार्नफ्लेक्स	कैलॉग्स/मोहन/सीकिंग्स
10	टोमेटो सॉस	किसान/मैगी
11	गुलाब जल	डाबर/जेस्को
12	चाय पत्ती	ताजमहल/रेड लेबल/टाटा–टी
13	कॉफी	नेसकेफे/ब्रू
14	दूध	सॉची गोल्ड
15	दही,पनीर, मावा	सॉची
16	आईसक्रीम	टॉप एन टाउन/क्वालिटी/नेचुरल/वाडीलाल/अमूल
17	ब्रेड	ए–वन/टॉप एन टाउन/मॉर्डन
18	बटर	अमूल
19	पापड	लिज्जत/बीकानेरी/श्री 420
20	सूजी,रवा	सिलवर क्वाईन/जावरा गोल्ड
21	नमक	टाटा/भास्कर/नेशनल लेबल ब्रांड
22	जैम	टॉप्स/किसान
23	नूडल्स	बम्बीनों
24	बिस्कुट	गुड डे, पारले जी, ब्रिटेनिया
25	शुगर क्यूब	डीसीएम श्रीराम

26	मिल्क पावडर	नेशनल / एवरीडे
27	टी–बेग	ताजमहल / टिवनिंग्स ओकलंदन / टाटा
28	मिनरल वॉटर	बिसलरी / एक्वाफ्रेश / किनले

सफल निविदाकार द्वारा उपरोक्त ब्राण्डों में परिवर्तन नही किया जाएगा। ब्रांड की अनुपलब्धता होने पर मेस समिति की राय पर परिवर्तन पुलिस अधीक्षक पीटीएस के आदेश से किया जा सकेगें। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन द्वारा आवश्यकता पडने पर उपरोक्त ब्राण्डों में परिवर्तन किया जा सकेगा।

विवरण	दिन	सामग्री
नाश्ता	सोमवार	इडली वडा सांभर+दूध 250 मिली (साँची गोल्ड) + 2 केले)
	मंगलवार	पोहा (सेव आलू, मंगफली दाना, प्याज)+ जलेबी 50 ग्राम, मूंग चवले की उसल, दूध 250 मिली (साँची गोल्ड) + 2 केले)
	बुधवार	आलू + पूड़ी+ दूध 250 मिली (साँची गोल्ड)+ 2 केले
	गुरूवार	मीठा दलिया(गुड़ घी का) / या नमकीन वेजिटेबल (आलू, प्याज, टमाटर, गाजर , शिमला मिर्च) दलिया दूध 250 मिली (साँची गोल्ड) + 2 केले
	शुक्रवार	अंकुरित मोठ, चना, दूध 250 मिली (साँची गोल्ड) + 2 केले
	शनिवार	पोहा+ जलेबी 50 ग्राम, 250 मिली (साँची गोल्ड)
	रविवार	अंकुरित मूंग, मोठ, चना दूध 250 मिली (साँची गोल्ड) + 2 केले
लंच	सोमवार	1.दाल– मूंग दाल 2.रसीली सब्जी – मौसमी हरी सब्जी 3.सूखी सब्जी – भिंड़ी मौसमी हरी सब्जी 4.रोटी – सादी 5.चावल – बासमती 6.सलाद – ककड़ी, टमाटर, प्याज 7.अचार 8. छाछ (सांची)
	मंगलवार	1.दाल– मिक्स मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, खड़ी छिलके वाली 2.रसीली सब्जी – आलू पालक / मौसमी साग–भाजी 3.सूखी सब्जी – फली (मौसमी फली) 4.रोटी – सादी 5.चावल – बासमती 6.सलाद – ककड़ी, टमाटर, प्याज 7.अचार 8.दही (सांची)

			बुधवार	1.दाल– तुअर दाल 2.रसीली सब्जी – आलू भटे 3.सूखी सब्जी – टिंड़ा 4.रोटी – सादी 5.चावल – कालीमूंछ 6.सलाद – ककड़ी, टमाटर, प्याज 7.अचार 8. छाछ (सांची)
			गुरूवार	1.दाल– मसूर 2.रसीली सब्जी – बेसन गट्टे 3.सूखी सब्जी – गिलकी 4.रोटी – सादी 5.चावल – कालीमूंछ 6.सलाद – ककड़ी, टमाटर, प्याज 7.अचार 8.दही (सांची)
			शुक्रवार	1.दाल– उड़द 2.रसीली सब्जी – आलू सोया बड़ी 3.सूखी सब्जी – भिंड़ी 4.रोटी – सादी 5.चावल – बासमती 6.सलाद – ककड़ी, टमाटर, प्याज 7.अचार 8. छाछ / (सांची)
			शनिवार	1.रसीली सब्जी – कड़ी पकोड़ा 2.सूखी सब्जी – आलू 3.रोटी – सादी 4.चावल – बासमती 5.सलाद – ककड़ी, टमाटर, प्याज 6.अचार 7.दही / (सांची)
			रविवार	1.खीर / आम रस (गर्मी के मौसम में) 2.रसीली सब्जी – मटर पनीर 3.सूखी सब्जी – भिण्डी मसाला 4.रोटी – पूड़ी 5.चावल – पुलाव 6.सलाद – ककड़ी, टमाटर, प्याज 7.अचार

			या दाल, बाफला, लडडू, बूंदी का रायता या पूड़ी, आलू छोला, खीर
	डिनर	सोमवार	1.दाल– तुअर 2.रसीली सब्जी – बेसन कट्टे 3.सूखी सब्जी – गिलकी 4.रोटी – सादी 5.चावल – बासमती 6.सलाद – ककड़ी, टमाटर, प्याज 7.अचार
		मंगलवार	1.दाल– मिक्स 2.रसीली सब्जी – आलू सोया बडी 3.सूखी सब्जी – कद्दु 4.रोटी – सादी 5.चावल – बासमती 6.सलाद – ककड़ी, टमाटर, प्याज 7.अचार
		बुधवार	1.दाल– तुअर 2.रसीली सब्जी – आलू सोया बडी 3.सूखी सब्जी – आलू शिमला मिर्च 4.रोटी – सादी 5.चावल – बासमती 6.सलाद, ककड़ी, टमाटर, प्याज 7.अचार
		गुरूवार	1.दाल–उडद दाल 2.रसीली सब्जी – आलू–गोभी या आलू–टमाटर 3.सूखी सब्जी – भिंड़ी 4.रोटी – सादी 5.चावल – कालीमूंछ 6.सलाद – ककड़ी, टमाटर, प्याज 7.अचार
		शुक्रवार	1.दाल–तुअर 2.रसीली सब्जी – आलू पालक 3.सूखी सब्जी – फली(मौसमी फली) 4.रोटी – सादी 5.चावल – कालीमूंछ 6.सलाद – ककड़ी, टमाटर, प्याज 7.अचार

	<table><tr><td></td><td>शनिवार</td><td>1.दाल–मूंग 2.रसीली सब्जी – मौसमी सब्जी 3.सूखी सब्जी – टिंडे 4.रोटी – सादी 5.चावल – कालीमूंछ 6.सलाद – ककड़ी, टमाटर, प्याज 7.अचार</td></tr><tr><td></td><td>रविवार</td><td>वेजीटेबल मसाला खिचड़ी+ सादी कड़ी + अचार +पापड़</td></tr></table> **नोट :–** 1– प्रतिदिन भोजन में दाल बदल बदल कर बनाई जावेगी। (मूंग छिलका, मूंग यलो), सप्ताह में एक दिन छोले/राजमा या चवला। 2– उपरोक्त नाश्ते में संख्या/मात्रा की सीमा (LIMIT) नही रहेगी, केवल दूध को छोडकर) <u>**हाई टी**</u> – चाय, कॉफी, शुगर फ्री, ग्रीन टी, बिस्किट (मीठे+नमकीन दोनों), मौसम के अनुसार मठा/कोल्ड ड्रिंक्स/नीबूपानी/कैरी का पना। **गर्म आइटम** (समोसा/कचोरी/आलूबडा/भजिया) सॉस/चटनी/सहायक–खमण/वेजीटेबल सैंडविच, फ्रूट चाट, भुट्टे का किस। मीठा–गुलाब जामुन/रसगुल्ला/आईसक्रीम/हलवा (मौसम के अनुसार/सॉची में उपलब्ध मिठाईयॉ) **फल** – केला/अंगूर/सेब स्पेशल **लंच/डिनर** – रोटी (तवा)/तंदूरी, पूडी सादा, पूडी मसाला, जीरा राईस/पुलाव, रायता, पनीर की सब्जी, हरी सब्जी, ग्रीन मौसमी सलाद, पापड, चटनी, अचार, आईसक्रीम **माउथ फ्रेशनर–** सौंफ, सुपारी, इलायची, लौंग, टूथपिक, डिस्पोजेबल आईटम साथ में रहेगें। **नोट :–** टेण्डर धारक बिना मेस प्रभारी की अनुमति के मेस मेन्यू में बदलाव नहीं करेगा। मेस प्रभारी सुनिश्चित करेंगे, कि यदि किन्हीं कारणों से मेन्यू अनुसार सब्जी नहीं बन पाती है। तो उसी सप्ताह में वह सब्जी आवश्यक रूप से बनाई जावेगी।
29.	एक ही सब्जी हफ्ते में दो बार से अधिक नहीं बनेगी। हरी सब्जी प्रतिदिन ताजी व अच्छी गुणवत्ता की खरीदी जाएगी। सब्जिया व फल साफ पानी से धोने के बाद ही इस्तमाल किये जायेगें।
30.	बचे खाने (Leftover) को डिस्पोज करने की जिम्मेदारी (Proper Arrangement) सफल निविदाकार को करना होगी। किचन में/स्टोर में कॉकरोच, मक्खी, मकडे, चूहे आदि न आवें इसकी व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु आवश्यक उपकरण सफल निविदाकार स्वयं लगाएँगें।
31.	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन द्वारा प्रदत्त रोटीमेकर मशीन एवं अन्य उपकरण खराब होने की स्थिति में सुधार कार्य सफल निविदाकार को स्वयं के व्यय से करना होगा।
32.	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय उज्जैन द्वारा प्रदाय की जाने वाली किचिन से संबंधित सामग्री/उपकरण इत्यादि रखरखाव(किराया) हेतु ₹ 25,000 (पच्चीस हज़ार रूपये) प्रतिमाह, जल व्यय की राशि ₹ 2,000(दो हज़ार रूपये) प्रतिमाह की दर से पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन को सफल निविदाकार द्वारा प्रतिमाह प्रस्तुत देयक से उक्त राशि का कटोत्रा किया जाकर शेष राशि भुगतान की जावेगी। सफल निविदाकार द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मेस में किचन एवं स्टोर हेतु पृथक से विद्युत मीटर सफल निविदाकार द्वारा लगाया जावेगा तथा विद्युत का भुगतान निविदाकार द्वारा ही किया जावेगा

<table>
<tr><td>33.</td><td>मेस समिति को अधिकार होगा कि वह खाने के मेन्यू में इच्छानुसार परिवर्तन कर सके।</td></tr>
<tr><td>34.</td><td>भोजन के पकाने हेतु गैस के सिलेण्डर सफल निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें। इनमे गैस रिफिल कराये जाने की व्यवस्था सफल निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय से किया जावेगा। घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भोजन पकाने के लिए उपयोग किये जाने वाले गैस चूल्हे एवं रोटी मेकर आदि का उपयोग नियमित रूप से करते समय उनकी सुरक्षा व सफाई का दायित्व निविदाकार का होगा ।</td></tr>
<tr><td>35.</td><td>प्रत्येक दिन के चाय, नाश्ता, लंच, डिनर के मीनू डिस्पले करना होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन प्रभारी अधिकारी के बगैर अनुमति से नहीं किया जायेगा। इसका उल्लघंन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। ऐसा न पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर त्रुटि के लिए राशि कम से कम ₹ 1,000 (एक हजार) या अधिकतम ₹ 5,000 (पांच हजार रूपये) रूपये तक की राशि वसूल की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>36.</td><td>प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं के जंगल कैम्प अथवा अन्य कैम्प संस्था से अन्य स्थान पर लगाये जाते है, तो प्रशिक्षुओं के नाश्ता, लंच एवं डिनर की व्यवस्था भी सफल निविदाकार को करनी होगी। इसके लिये संस्था द्वारा पृथक से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।</td></tr>
<tr><td>37.</td><td>छात्रावास में आवासरत प्रशिक्षुओं को चाय, नाश्ता, लंच एवं डिनर का समय निम्नानुसार निर्धारित रहेगा :–
<table>
<tr><td>नाश्ता</td><td>प्रातः 7:30 बजे से 09:00 बजे तक</td></tr>
<tr><td>लंच</td><td>दोपहर 12:00 बजे से 14:30 बजे तक</td></tr>
<tr><td>डिनर</td><td>रात्रि 18:00 बजे से 20:30 बजे तक</td></tr>
</table>
पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन अपनी सुविधा के अनुसार उपरोक्त मे परिवर्तन कर सकेंगें।</td></tr>
<tr><td>38.</td><td>सफल निविदाकार का कार्य संतोषजनक तथा उत्तम पाये जाने पर निविदा आगामी एक अथवा एक से अधिक वर्ष के लिए दोनों पक्षों की सहमति से बढाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।</td></tr>
<tr><td>39.</td><td>शिकायत पुस्तिका डायनिंग हॉल में अनिवार्यतः रखी जानी होगी, जो सप्ताह के अंत में मेस प्रभारी अधिकारी/पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगी। इकाई के अधिकारी/कर्मचारी सरप्राईज चेक करके टेस्टिंग रजिस्टर में एंट्री करेगें।</td></tr>
<tr><td>40.</td><td>किचन तथा इसके आस–पास की साफ–सफाई की व्यवस्था कराये जाने की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। ऐसा न पाये जाने पर प्रत्येक असवर पर की गई त्रुटि के लिए राशि ₹ 500 या अधिकतम ₹ 1,000 की राशि वसूल की जायेगी एंव उक्त राशि मेंन्टेनेंन्स मद में जमा की जायेगी। स्टॉफ पान, तंबाकू, गुटका आदि का सेवन नही करेगा।</td></tr>
<tr><td>41.</td><td>सफल निविदाकार के स्टॉफ, वेटर्स तथा सुपरवाईजर आदि के द्वारा डायनिंग हाल की खिडकियों ,सीढियों तथा किचिन के आसपास पान, गुटका आदि थूके जाने पर न्यूनतम राशि ₹ 500 या अधिकतम राशि ₹ 1,000 रूपये वसूल की जायेगी एंव उक्त राशि मेंन्टेनेंन्स मद में जमा की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>42.</td><td>पॉलीथिन बैग्स व प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कागज/कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करेंगे। प्लॉस्टिक कचरा पी0टी0एस0 केम्पस में या परिसर की बाउण्ड्री वॉल के बाहर डंप नहीं होगा।</td></tr>
</table>

43.	रात्रि के समय आवश्यकता पढ़ने पर दूध, चाय, स्नैक्स, भोजन, बीमार के लिए सादा भोजन इत्यादि प्रशिक्षु को उपलब्ध करना होगा।
44.	निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदाओं की न्यूनतम दरों की गणना के लिए सामान्य लंच ,डिनर, नाश्ता, पर होने वाले व्यय को मुख्य आधार माना जावेगा। तथापि चाय का रेट पृथक से कोट करें।
45.	निविदाकारों के द्वारा निविदा प्रपत्र भाग–01 एवं निविदा प्रपत्र भाग–02 के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित सील लगाई जाना आवश्यक होगा। निविदा प्रपत्र भाग–01 (तकनीकी बिड) निविदा भाग–02 (फायनेशियल बिड) अलग–अलग लिफाफे में सील बंद की जाकर लिफाफें के उपर ''तकनीकी बिड'' एवं ''फायनेशियल बिड'' अंकित कर दोनों लिफाफे को एक साथ लिफाफे में रखकर सीलबंद किया जाना अनिवार्य होगा। तीनों लिफाफे पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन को प्रेषित होगें तथा लिफाफे पर भेजने वाली फर्म का नाम व पता अंकित किया जाना होगा। ऐसा न होने पर निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
46.	सफल निविदाकार को ₹ 1,000 (एक हज़ार) के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा एवं अनुबंध में दर्शित तिथि में मेस कैटरिंग का कार्य प्रारम्भ करना होगा। निविदा की शर्ते, नियम व भोजन की गुणवत्ता अनुबंध के अभिन्न अंग होंगे।
47.	किसी भी निविदा को बगैर कारण स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।
48.	यदि किसी फर्म का टेण्डर पूर्व में टेण्डर की शर्तों के अनुरूप नहीं चलाने पर अस्वीकृत किया गया है, तो वह इस वर्ष खुली निविदा हेतु अयोग्य माना जाएगा।
49.	कैटरिंग कार्य के दौरान यदि कोई घटना/दुर्घटना घटित होती है तो उसकी जवाबदारी पूर्णरूप से ठेका लेने वाली फर्म की रहेगी।
50.	सफल निविदाकार को मेस केटरिंग कार्य हेतु निविदा की शर्ते एवं नियम मान्य एवं स्वीकार होंगें।
51.	निविदाकारों का ₹ 1000 (एक हज़ार) के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र निविदा प्रपत्र भाग–01 (तकनीकी बिड) के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन मे मेस कैटरिंग कार्य वर्ष 2019–20 हेतु प्रस्तुत की गई सभी जानकारी पूणतः सत्य एवं प्रमाणित है। किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर हमारी फर्म/संस्था स्वंय उत्तरदायी होगी तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय उज्जैन मेरे विरूद्व कोई भी वैधानिक कार्यवाही करने/ठेका निरस्त करने के लिए सक्षम होगी (शपथ पत्र का नमूना साथ में संलग्न है)
52.	दोनो आवासीय छात्रावासों में मेस व्यवस्था पृथक–पृथक रहेगी।
53.	महिला मेस के स्टाफ में महिला कर्मचारी ही कार्यरत रहेगी।
54.	मेन्यू अनुसार भोजन मेस में न बनने पर भोजन की वर्तमान लागत के अनुपात में कटौत्रा किया जायेगा।
55.	पर्याप्त मात्रा में (कम से कम 05–05) प्रत्येक मेस में अग्निशामक यंत्र लगवायेंगे और उन्हे expiery date के पूर्व Refill करायेंगे।
56.	किचन में उपयोग होने वाली विद्युत बिल का भुगतान स्वयं टेण्डर धारक द्वारा सब मीटर लगाकर किया जावेगा। जिसके भुगतान की रसीद प्रतिमाह रक्षित निरीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत

	करनी होगी।
57.	भविष्य में यदि इकाई द्वारा रोटी मेकर मशीन उपलब्ध करवाई जाती है। तो रोटी बनाने में लगने वाले श्रमिकों की मजदूरी मेस कटिंग में शामिल नहीं की जाएगी तथा उतनी राशि की मेस कटिंग, रोटी मेकर संचालन/मेंटनेंस में लगने वाले व्यय को छोड़कर, कम कर ली जाएगी।
58.	किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में पुलिस अधीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उज्जैन मध्यस्थ होगें तथा उनका निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।
59.	सफल निविदाकार को प्रत्येक माह की राशि का भुगतान प्रशिक्षुओं से राशि प्राप्त होने पर किया जाएगा। कटौत्रा वसूल करने एवं देयक प्रस्तुत करने, लेखा–व्यय रखने हेतु एक सहायक पृथक से रखना होगा जो समय पर देयक प्रस्तुत रखने आमद–खर्च के ब्यौरे आदि की जिम्मेदार होगा। इस हेतु एक कम्प्यूटर पूर्ण उपकरण के साथ रखना होगा। इस हेतु इकाई के मेस में एक पृथक से कक्ष उपलब्ध करवाया जाएगा।
60.	सत्र में प्रशिक्षुओं की संख्या कम या अधिक होने पर दरों पर कोई प्रभाव (संशोधन) नहीं होगा।
61.	न्यायिक विवाद की स्थिति में ज्यूरिसडिक्शन उज्जैन होगा।